भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2700

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

19 फाल्गुन, 1942 (शक)

सोशल मीडिया हेतु निजता नीति

2700. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सोशल मीडिया हेतु कोई निजता नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म हेतु कोई निजता नीति तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से (घ): सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (आईटी) अधिनियम, 2000 के संदर्भ में बॉडी कॉरपोरेट हैं। इस धारा के तहत अधिसूचित अधिनियम की धारा 43क और सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियमावली, 2011 में बॉडी कॉरपोरेट द्वारा एकत्रित संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना के लिए सुरक्षोपाय का प्रावधान है। यह नियमावली अधिदेशित करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित बॉडी कॉरपोरेट को इस तरह की सूचना की निजता और प्रकटीकरण के लिए नीति प्रदान करनी चाहिए, ताकि प्रयोक्ता को एकत्रित किए गए व्यक्तिगत डेटा के प्रकार, इस तरह की जानकारी के संग्रह और उपयोग के बारे में अच्छी तरह पता हो। विनियमों में सूचनाओं के संग्रह, सूचनाओं के प्रकटीकरण, सूचनाओं के हस्तांतरण आदि के तरीके भी शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने पहले ही संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान में संसद की संयुक्त समिति के विचाराधीन है। इस विधेयक में भारतीय नागरिकों की निजता और हितों की सुरक्षा का प्रावधान है।

व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया माध्यस्थ की कोई भी गोपनीयता नीति कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।

****